प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956
बावत पत्थरगढी कराने बावत

उपस्थितिः– 1. प्रार्थीगण अनुपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक : 16.06.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थीगण लवाण तहसील लवाण जिला दौसा के रहने वाले है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर है जिसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जाती है।
2. यह है कि वाके ग्राम जैलमपुरा, पटवार हल्का खानवास, भू–अभिलेख निरीक्षक रजवास तहसील लवाण, जिला दौसा में कृषि भूमि खाता संख्या नया 4, खाता संख्या पुराना 39 की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.03 है0, गै0मु चाह, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.41

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:18 IST
Reason: SelfAttested

है0, खसरा नम्बर 157 / 686 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.044 है0, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.04 है0,खसरा नम्बर 608 रकबा 0.16 है0, कुल किता–17 कुल रकबा 3.12 हैक्टयर एवं खाता संख्या नया 42, खाता संख्या पुराना 40 की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 591 / 1 रकबा 0.26 है0 स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। इस पर जिस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है।

3. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगो की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरो से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते ताकि प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा रहे। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी दिनांक 01.05.2023 को काराया जा चुका है।

4. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रह कर काश्त कर रहे है । प्रार्थीगण की भूमि फसल की सुरक्षा कायम रह सके इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान कर मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

5. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी करने किसी प्रकार की बाधा अथवा अडचन भी किसी प्रकार से नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र ... निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 4... पुराना 39 की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.03 है0, गै0मु चाह, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 157 / 686

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
लवाण

प्र.स.:— 13/2023
दायर दिनांक 09.06.2023
निर्णय दिनांक :— 16.06.2023

रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.044 है0, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.04 है0,खसरा नम्बर 608 रकबा 0.16 है0, कुल किता—17 कुल रकबा 3.12 हैक्टयर एवं खाता संख्या नया 42, खाता संख्या पुराना 40 की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 591/1 रकबा 0.26 है0 स्थित वाके ग्राम जैलमपुरा, पटवार हल्का खानवास, भू.अभि.नि.क्षे. रजवास तहसील लवाण जिला दौसा की मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ./2023/1418 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 155, 156, 157, 157/686, 162, 28, 29, 30, 568, 572, 584, 585, 594, 595, 599, 603, व 608, 591/1 रकबा क्रमशः 0.19, 0.03, 0.41, 0.07, 0.32, 0.29, 0.22, 0.19, 0.10, 0.18, 0.23, 0.18, 0.03, 0.04, 0.44, 0.04, 0.16, 0.26 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम जैलमपुरा में खातेदार जगदीश, रामजीलाल पि. औंकार जाति माली निवासी जैलमपुरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान 01.05.2023 को को किया जा चुका है। उक्त भूमि पर आदिनांक किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाते है, तो पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:18 IST
Reason: SelfAttested

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 02.06.2023 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त ग्राम जैलमपुरा पटवार मण्डल खानवास तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 155, 156, 157, 157/686, 162, 28, 29, 30, 568, 572, 584, 585, 594, 595,

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.सं.– [illegible]/2023
दायर दिनांक 05.05.2023
निर्णय दिनांक :– 16.06.2023

599, 603, व 608, 591/1 रकबा क्रमशः 0.19, 0.03, 0.41, 0.07, 0.32, 0.29, 0.22, 0.19, 0.10, 0.18, 0.23, 0.18, 0.03, 0.04, 0.44, 0.04, 0.16, 0.26 हैक्टयर कुल किता–18 कुल रकबा 3.3800 हैक्टयर भूमि जगदीश पुत्र औंकार, रामजीलाल पुत्र औंकार जाति माली सा. खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का खानवास के अनुसार दिनांक 01.06.2023 को किया गया, जहाँ मौके पर पटवारी पटवार हल्का खानवास, पटवारी पटवार हल्का लवाण एवं खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण के आराजी खसरा 155, 156, 157, 157/686, 162, 28, 29, 30, 568, 572, 584, 585, 594, 595, 599, 603, व 608, 591/1 रकबा क्रमशः 0.19, 0.03, 0.41, 0.07, 0.32, 0.29, 0.22, 0.19, 0.10, 0.18, 0.23, 0.18, 0.03, 0.04, 0.44, 0.04, 0.16, 0.26 हैक्टयर कुल किता–18 कुल रकबा 3.3800 हैक्टयर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/भू–अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगणो से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:18 IST
Reason: SelfAttested

मिथलेश मीना (आरएएस)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
लवाण